पाकिस्तानी महिला खतीजा परवीन को मिली भारतीय नागरिकता

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में रहने वाली पाकिस्तानी महिला खतीजा परवीन को बीते सोमवार को भारतीय नागरिकता मिली। पुंछ के जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र खतीजा को सौंपा। लंबे समय के बाद भारतीय नागरिकता मिलने पर खतीजा , उनके पति मोहम्मद ताज और जेठ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को शुक्रिया कहा। मोहम्मद ताज कहते हैं कि इतने सालों से खतीजा को भारत में वीजे पर रहना पड़ रहा था, अब खतीजा को भारतीय नागरिकता मिलने से पूरा परिवार खुश है।

ताज बताते हैं कि वर्ष 1983 में अटक पाकिस्तान की रहने वाली खतीजा परवीन से उनकी पाकिस्तान में शादी हुई थी। जिसके बाद वर्ष 2000 में मैंने खतीजा के लिये भारतीय नागरिकता के नागरिकता कानून, 1955 की धारा 5(1)(c) के तहत शादी के आधार पर आवेदन किया था। उसी कानून के आधार पर आज उसे भारतीय नागरिकता मिली है। उन्होंने बताया कि हमारी दो बेटियां और एक बेटा हैं।

पुंछ के जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने कहा कि पाकिस्तानी महिला को भारतीय नागरिकता मिलने का यह पहला मामला नहीं है। देश में समय-समय पर विभिन्न आधार पर पाकिस्तान से आये लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। अभी भी कई लोगों ने आवेदन कर रखा हैं।

खतीजा ने नागरिकता कानून को लेकर कहा कि कानून को लेकर बवाल नहीं होना चाहिये। बल्कि लोगों को शांति से इस कानून के बारे में समझना चाहिये।